मीडिया एवं प्रोटोकॉल प्रभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

जन स्वास्थ्य व्याख्यान हेतु प्रारूप

1. जन व्याख्यान आयोजित करने का अनुरोध, आयोजन से **कम से कम 15 कार्य दिवस** पहले, मीडिया एवं प्रोटोकॉल प्रभाग को प्राप्त होना चाहिए ताकि विभिन्न विभागों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित किया जा सके।

2. पूर्व स्वीकृत अनुरोध से कम से कम **एक सप्ताह का अंतर** होना चाहिए। आगामी जन व्याख्यानों की सूची प्रभाग कार्यालय, प्रथम तल, कॉन्फ्रेंस हॉल के पास से अथवा फोन नंबर-3400/3514 द्वारा प्राप्त की जा सकती है। **विभाग द्वारा वर्ष में अधिकतम 02 जन व्याख्यान आयोजित किए जा सकते हैं।**

3. **मुख्यत: व्याख्यान का विषय सामान्य जन स्वास्थ्य महत्व में से एक होना चाहिए जिसमें जीवनशैली में बदलाव, लक्षणों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार मिलने की भूमिका आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाकर परिणामों में सुधार करने की क्षमता हो।**

4. आयोजक विभाग द्वारा एम्स के अन्य संबंधित विभाग से वक्ता/पैनलिस्ट शामिल किए जाने चाहिए। किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी से केवल एक बाहरी वक्ता को आमंत्रित करने की अनुमति दी जाएगी। असाधारण परिस्थितियों में अधिकतम दो बाहरी वक्ताओं को अनुमति दी जा सकती है। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि वक्ताओं/पैनलिस्टों को दोबारा आमंत्रित करने में एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।

5. जन स्वास्थ्य व्याख्यान संबंधित स्वास्थ्य दिवसों के आसपास आयोजित किए जाएं। बेहतर होगा कि व्याख्यान का आयोजन मंगलवार को न किया जाए। यह वांछनीय है कि व्याख्यान से एक दिन पहले की छुट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस दिन विज्ञापन प्रेस में प्रकाशित होता है उस दिन प्रभाग को कई प्रश्न प्राप्त होते हैं। अतः, बुधवार-शुक्रवार सबसे उपयुक्त दिन होते हैं। कार्य दिवसों में व्याख्यान शाम 4:00 बजे तथा शनिवार को प्रातः 11:30 बजे आयोजित किया जाना चाहिए। आयोजक विभाग द्वारा सुविधाजनक

तिथि पर सभागार की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसके बाद प्रभाग द्वारा बुकिंग को औपचारिक तौर पर स्वीकृति दी जाएगी।

6. विषय, वक्ताओं तथा प्रमुख विषयों का अंतिम विवरण प्रभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि समाचार पत्र विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, डिस्प्ले स्लाइड (अंग्रेजी और हिंदी में) सहित सभी प्रदर्शन सामग्री सीमेट और हिंदी अनुभाग में तैयार की जा सके तथा संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा सके।

7. जन व्याख्यान तथा पैनल चर्चा की अवधि 60 से 90 मिनट की होनी चाहिए। इसके प्रारूप के प्रमुख पहलुओं के तहत 3 लघु व्याख्यान होने चाहिए जिसमें प्रत्येक की अवधि 7 मिनट हो। प्रत्येक वक्ता के पास 6-7 लाइनें/स्लाइड सहित अधिकतम 10 स्लाइड होनी चाहिए जिनका फ़ॉन्ट आकार न्यूनतम 26 (एरियल/ताहोमा) हो। स्लाइड अंग्रेजी में हो सकती है लेकिन जहां तक संभव हो बातचीत हिंदी में होनी चाहिए। बातचीत के बाद आम जनता के सवालों पर एक पैनल चर्चा होनी चाहिए।

8. आयोजक विभाग सभागार में लैपटॉप एवं प्रोजेक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करे। यदि दर्शकों से पर्चियों के माध्यम से प्रश्न एकत्र करने का प्रस्ताव है तो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्टाफ-सदस्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. यदि चाहें तो वितरण के लिए हैंडआउट तैयार किए जा सकते हैं।

10. **जलपान शाम 5:30 बजे (शनिवार को दोपहर 1:00 बजे)** परोसा जाएगा ताकि कैफेटेरिया के कर्मचारी अपना काम व्यवस्थित रूप से तथा समय पर पूरा कर सकें।

11. सीमेट द्वारा पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। आगामी जन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने हेतु कार्रवाई को संपादित करने के लिए आयोजन के बाद एक सदस्य को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

पुरुषोत्तम कुमार

FORMAT FOR PUBLIC HEALTH LECTURE

1. Request for organizing a Public Lecture must be received in the Media & Protocol Division **minimum of 15 working days** prior to the event to permit adequate coordination between the various departments.

2. There should be a minimum of **one week's gap** from a previously accepted request. A list of forthcoming public lectures can be obtained from the Division Office, 1st floor, near Conference Hall, Phone No.- 3400 / 3514. **Maximum two public lectures in a year can be organized by the department.**

3. The topic of the lecture should preferably be one of general public health importance with the potential to improve outcomes through increasing awareness regarding role of lifestyle modification, early recognition of symptoms, timely access to treatment, etc.

4. The organizing Department should include Speakers / Panelists from other related Department at AIIMS. Only one external Speaker from any Govt. agency is permitted. A maximum of two external Speaker may be allowed under exceptional circumstances. At the same time it is also suggested that there should be gap of preferably one year in repeating the Speakers / Panelists.

5. Public Health Lectures may be organized around the respective Health Days. The lectures should preferably not be organized Tuesday. It is desirable that the previous day should not be a holiday as the Division receives a number of queries on the day the advertisement appears in press. Thus the preferred day are Wednesday- Friday. Timing must be 4:00 p.m. on weekdays and 11:30 a.m. if on Saturday. Availability of the Auditorium on a convenient date is to be ensured by the organizing department. Bookings will then be formalized by the Division.

6. The finalized details of topic, speakers and major topics should be submitted to the Division so that all display material including newspaper advertisement, posters, banners, display slides (in English and Hindi) can be prepared at CMET and Hindi Section and sent to the concerned authorities.

7. The duration of the Public Lecture & Panel Discussion should be 60 to 90 mins. The format should be 3 short lectures of 7 minutes each on the major aspects. Each speaker should have a maximum of 10 slides, with 6-7 lines / slides, font size minimum 26 (Arial / Tahoma). Slides may be in English but speaking should be in Hindi as far as possible. The talks should be followed by a Panel Discussion addressing question from the general public.

8. The Organizing Department should ensure availability of laptop and projector in the Auditorium. In case it is proposed to collect questions through slips from the audience, appropriate staff member should be arranged for the purpose.

9. Handouts can be prepared for distribution, if desired.

10. Tea & snacks will be served at 5:30 p.m. (1:00 p.m. on Saturday) to allow the cafeteria staff to wind up their work in an organized and timely fashion.

11. The entire program will be video graphed by CMET. One member is to be deputed after the event to edit the proceedings for use in forthcoming public health education programs.